

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन

क्रमांक 699/वित्त/चार/ब-1/2002

रायपुर, दिनांक 05 जुलाई, 2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
छत्तीसगढ़ ।

**विषय:-** सीधी भर्ती से संबंधित पदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलाग की रिक्तियों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान ।

**संदर्भ:-** छ.ग. शासन, सा.प्र.वि. का परिपत्र क्रमांक-3 रायपुर, दिनांक 04.07.2003.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलाग के पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान संबंधी निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किये हैं, जिसके पूरक निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक-3, दिनांक 04.07.2003 के अंतर्गत जारी हुए हैं ।

2/- उपरोक्त परिपत्र के अनुक्रम में जहाँ आवश्यक हों, सांख्येत्तर पदों को सृजित करने के लिए विभाग निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी वित्त विभाग को 2 दिन के भीतर उपलब्ध करावें ।

3/- दिनांक 01.11.2000 के बाद हुये रिक्त पदों पर बैकलाग को भरने के लिये वित्त विभाग के मितव्ययिता आदेशों में लगे प्रतिबंध को शिथिल किया जाता है । अतः अलग से इन पदों को भरने के लिए वित्त विभाग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।

4/- बैकलाग के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व विभागीय सचिव/सक्षम अधिकारी यह प्रमाणित करेंगे कि उनके द्वारा बैकलाग के पदों की गणना सही की है तथा उसकी सत्यता के लिए वे उत्तरदायी हैं ।

संलग्न:-(i) प्रोफार्मा

(ii) सा.प्र.वि. का

परिपत्र क्र.-3

(आर.एस. विश्वकर्मा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
  2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
  3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
  4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
  5. सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/लोक आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
  6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
  7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
  8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
  9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर ।
  10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
  11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
  12. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छ.ग., रायपुर ।
  13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
  14. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
  15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
  16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
  17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
  18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
  19. नियंत्रक, शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आर.एस. विश्वकर्मा)

संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग